40 अंक का ग्रेस ले सकेंगे विद्यार्थी

एकेटीयू में नई व्यवस्था

- इंजीनियरिंग में एक वर्ष में अधिकतम दस अंक व चार वर्ष में चालीस अंक लेने का था प्रावधान
- अब प्रत्येक सेमेस्टर में सिर्फ 23 क्रेडिट हासिल करना जरूरी, परीक्षा समिति की बैठक में लगेगी मुहर

जागरण संवाददाता, लखनऊ : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) ने फेल होने वाले छात्रों को बड़ी राहत देने जा रहा है। अब छात्र 40 अंकों का ग्रेस कभी भी किसी सेमेस्टर में ले सकेगा। अभी तक वह सिर्फ एक साल में अधिकतम दस अंकों का ग्रेस व चार वर्ष में 40 अंकों का ग्रेस हासिल कर पास हो सकता था। एकेटीयू के इस फैसले से पिछले वर्षों में फेल हुए करीब 35 हजार छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। वह एक साथ ग्रेस अंक का प्रयोग कर अपनी डिग्री हासिल कर सकेंगे। एकेटीयू की परीक्षा समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को पास करवाया जाएगा।

एकेटीयू के परीक्षा नियंत्रक डॉ. जेपी पांडेय ने बताया कि ऐसे विद्यार्थी जो किसी प्रश्नपत्र में न्यूनतम 15 प्रतिशत अंक हासिल करेंगे उन्हें ग्रेस अंक पाने का लाभ मिलेगा। वह कहते हैं कि अभी जो नियम हैं उसके अनुसार विद्यार्थी चार वर्षों में 40 अंक का ग्रेस ले सकता है मगर इसमें शर्त यह है कि वह एक वर्ष में अधिकतम 10 अंकों का ग्रेस ही पा सकता है। अब हमने यह शर्त हटा दी है और विद्यार्थी अब पास होने के लिए अपने 40 अंक का ग्रेस चाहे तो एक साथ प्रयोग कर ले या फिर अलग-अलग सेमेस्टर में। वह कहते हैं कि उदाहरण के तौर अगर किसी विद्यार्थी ने तीन सेमेस्टर की परीक्षा बिना ग्रेस के पास कर ली। अब वह आखिरी सेमेस्टर में दो प्रश्नपत्र में फेल हुआ और उसे दोनों में दस-दस अंक चाहिए तो वह एक साथ अपने बीस अंक का ग्रेस लेकर पास हो जाएगा। अभी तक यह होता था कि ऐसे विद्यार्थी अगर अंतिम वर्ष में किन्हीं कारणों से फेल हो गए तो उन्हें ग्रेस अंक का लाभ पूरा नहीं मिल पाता था। अब वह अपने 40 अंक के ग्रेस का कभी भी उपयोग पास होने में कर सकेंगे। शनिवार को परीक्षा समिति की होने वाली बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) के अंतर्गत पढ़ाई और परीक्षा होगी। इसमें प्रत्येक वर्ष 46 क्रेडिट की पढ़ाई करनी होगी और विद्यार्थियों को परीक्षा में कम से कम 23 क्रेडिट लाना अनिवार्य होगा। यानी वह एक वर्ष में 50 प्रतिशत अंक के बराबर क्रेडिट हासिल करेगा तभी पास माना जाएगा। वहीं अब थ्योरी व प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर उसके क्रेडिट जोड़े जाएंगे। यह 50 प्रतिशत अंकों के बराबर होना चाहिए पहले यह 60 प्रतिशत के बराबर था और अलग-अलग गणना होती थी।

एकेटीयू ने कॉलेज पर ठोका दस लाख का जुर्माना

- विद्यार्थी को प्रैक्टिकल में फेल कर किया जा रहा था परेशान
- विद्यार्थी को भी एक लाख का मुआवजा देने के आदेश

जागरण संवाददाता, लखनऊ : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) ने विद्यार्थी को परेशान करने वाले कॉलेज को अच्छा सबक सिखाया है। प्रैक्टिकल में कॉलेज ने उसे जानबूझकर फेल किया जबकि उसके पहले सेमेस्टर से लेकर सातवें सेमेस्टर तक काफी अच्छे अंक थे। फिर भी फेल कर उसे बेवजह दौड़ाया जा रहा था। फिलहाल एकेटीयू ने इस कॉलेज पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और भुक्तभोगी छात्र को एक लाख का मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। एकेटीयू के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फाइनल इयर के स्टूडेंट विनीत प्रजापति के पहले सेमेस्टर से लेकर सातवें सेमेस्टर तक काफी अच्छे अंक थे, इसके बावजूद उसे सेठ श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने उसे जानबूझकर प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल व इंटर्नल में फेल कर दिया। भुक्तभोगी विद्यार्थी ने इसे लेकर कोर्ट में गुहार लगाई और एकेटीयू को निर्देश दिए कि वह इसे पर अंतिम फैसला करें। फिलहाल विनीत प्रजापति के साथ-साथ अश्वनी कुमार यादव को भी एवरेज मार्क देने का निर्णय लिया गया है। एकेटीयू के परीक्षा नियंत्रक डॉ. जेपी पांडेय कहते हैं कि यह कॉलेज छात्र को पिछले करीब तीन वर्ष से परेशान कर रहा था। जिसके कारण उसे जाब भी नहीं मिल रही थी। फिलहाल अब सभी कॉलेजों को स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर वह किसी भी छात्र को बेवजह परेशान करेंगे तो उन्हें कड़ा दंड दिया जाएगा।